

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखें)



NCC

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (UJJAIN), मध्य प्रदेश

दस्तावेज:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

क्रमांक: स्कूल आईडी - 21125365/45238
प्रति,

दिनांक:- 27.02.2017

प्रबंधक

(SHREE RAJ RAJENDRA JAYANTSEN VIDYAPITHA KHACHROD)

वषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकांश अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकांश नियम, 2010 के नियम 11 के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

सहायक/सहायिका,

आपके अविदित पत्र दिनांक 01.01.2009 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चात्कर्षित पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल, SHREE RAJ RAJENDRA JAYANTSEN VIDYAPITHA KHACHROD, JAORA FATAK KE PASS KHACHROD DIST UJJAIN MP को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2020 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न लय में की प्रति के अधीन होगी:-

- मान्यता वस्तुतः नष्ट होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता संबद्धता की कोई वाध्यता कसी भी रूप में वक्षत नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकांश अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकांश नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्त कि जहाँ स्कूल पूर्व स्कूल (प्र-स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्र-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- धारा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पंचायत से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सासाइटी स्कूल कोई भी क्वेश्चन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ कसी अनशान्ति प्रकृत्या को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल कसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
 - (क) आयु के संबंध में अज्ञात में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए वृत्ति की गई वस्तुतः कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से कसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - कसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक कसी भी बालक को कसी कक्षा में रोका या निष्कासत नहीं किया जाएगा;
 - कसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शिक्षक/व्यक्ति आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्त कि वर्तमान में कार्यरत शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी।
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - ग्रायवेट टी चंग की गति घ घर्षण में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/संगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में वृत्ति के अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, मध्य प्रदेश
जिला शिक्षा अधिकारी, उज्जैन

स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुवधाएं निम्नानुसार पाई गयीं:-

क्र.सं.	विवरण	स्तरों का भवन	स्तरों का भवन
8	स्कूल के भवन की स्थिति		123750
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	12000	12000
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	111750	111750
11	प्ले मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)		

क्र.सं.	विवरण	आवृत्त संख्या का वितरण		वास्तविक स्थिति	
		Rooms as per RFE	पोर्टल में दर्ज संख्या	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा		10	10	500
2	अभ्यास कक्षा				
3	अभ्यास कक्षा				

क्र.सं.	विवरण	आवृत्त संख्या का वितरण		वास्तविक स्थिति	
		संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है? (हाँ/हाँ नहीं)			हाँ	हाँ
2	वहन वाहन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची उपलब्ध करे)			हाँ	हाँ
3	प्ले मैदान/खेल सुवधाएं (हस्ताक्षरित सूची उपलब्ध करे)			200	200
4	सुविधाओं की संख्या			2	2
5	पत्रिकाएं/सप्ताहिक पत्र			Pipe Water	Pipe Water
6	पेयजल सुवधा का प्रकार			20	20
7	पेयजल सुवधा की संख्या			Both Indian & Western	Both Indian & Western
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/दोनों)			3	3
9	लड़कों के लिए शौचालय/शौचालयों की संख्या			3	3
10	लड़कियों के लिए शौचालय/शौचालयों की संख्या			2	2
11	वकलांग बच्चों के लिए शौचालय/शौचालयों की संख्या			हाँ	हाँ
12	अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है? (हाँ/हाँ नहीं)			हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षित कर जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेड द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा ववरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के ववरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..21125365.. एवं ड्राईसकोड (DISE) 23210424805 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित कर जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कर्मियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी कर जाएं।
- सोसायटी/न्याय, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण क्या जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सख्त हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

कोषाध्यक्ष/सचिव/अध्यक्ष
श्री राज राजेन्द्र शिक्षण समिति

महोदय,
 जिला शिक्षा अधिकारी
 जिला UJJAIN मध्यप्रदेश

PRINCIPAL
S.R.R.J.V. (CBSE SCHOOL)
AFFILIATION NO. 1030989
KHACHROD (M.P.)
Mob. - 9406930552